रजिस्टर्ड नं० ल०-33/एस० एम० 14

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला शनिवार, 6 अक्तूबर, 1990/14 आश्विन, 1912

हिमाचल प्रदेश सरकार

गृह विभाग

अधिसूचनाएं

शिमला-2, 11 सितम्बर, 1990

संख्या होम (बी) 1-10/68.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, इस निमित्त पूर्व प्रकाशित सभी अधिसूचनाओं का अधिक्रमण करते हुए और हिमाचल प्रदेश आवश्यक सेवा अधिनियम, 1972 की धारा 4 की उप-धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निर्देश देते हैं कि उन प्रवर्गों से सम्बन्धित सेवाओं में लगा कोई व्यक्ति या व्यक्तिगण, जिनको हिमाचल प्रदेश आवश्यक सेवा अधिनियम, 1972 (1973 का 5) उक्त अधिनियम की धारा 3 के अधीन जारी की गई अधिसूचना संख्या होम (बी) 1-10/68, तारीख 11 सितम्बर, 1990 द्वारा लागू किया गया है, ऐसे क्षेत्र या क्षेत्रों से बाहर प्रस्थान नहीं करेंगे जहां ऐसा व्यक्ति या व्यक्तिगण ऐसे कर्मचारियों के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं।

256 -राजपत्र/90-6 10-90—1,173. (2071) मूल्य : 1 रुपया ।

शिमला-2, 11 सितम्बर, 1990

संख्या होम (बी) 1-10/68.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, अतीत में समय-समय पर असाधारण राजपत्र में प्रकाशित सभी पूर्व अधिसूचनाओं का अधिक्रमण करते हुए और हिमाचल प्रदेश आवश्यक सेवा अधिनियम, 1972 की धारा 7 की उप-धारा (3) के अधीन निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे दी गई अनुसूची में उल्लिखित अधिकारियों को उक्त अधिनियम की धारा 3 के अधीन जारी अधिसूचना संख्या होम (बी) 1-10/68, तारीख 11 सितम्बर, 1990 में वर्णित सेवाओं में नियोजित किसी व्यक्ति द्वारा उक्त अधिनियम के अधीन किए गए अपराध के बारे में लिखित शिकायत करने के लिए प्राधिकृत करते हैं ।

अनुसूची

नियोजन का नाम	प्राधिकृत अधिकारी
1	2
1. हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड	1. सचिव, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड । 2. सभी मुख्य अभियन्ता । 3. सभी अधीक्षण अभियन्ता । 4. सभी अधिशासी अभियन्ता ।
2. हिमाचल प्रदेश अग्निशमन सेवाएं	1. निदेशक, अग्निशमन सेवाएं । 2. मुख्य अग्निशमन अधिकारी । 3. सभी मण्डलीय अग्निशमन अधिकारी । 4. सभी केन्द्र अग्निशमन अधिकारी । 5. सभी उप-केन्द्र अग्निशमन अधिकारी ।
3. सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग	1. सभी मुख्य अभियन्ता । 2. सभी अधीक्षण अभियन्ता । 3. सभी अधिशासी अभियन्ता ।
4. आयुर्वेदिक विभाग	1. निदेशक, आयुर्वेदिक । 2. विशेष कार्य अधिकारी, आयुर्वेदिक । 3. सहायक निदेशक, आयुर्वेदिक । 4. जिला आयुर्वेदिक अधिकारी ।
5. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग ।	1. निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं । 2. निदेशक एवं प्रधानाचार्य, इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, शिमला । 3. चिकित्सा अधीक्षक । 4. मुख्य चिकित्सा अधिकारी ।
6. नगर निगम, शिमला	1. आयुक्त, नगर निगम, शिमला । 2. सहायक आयुक्त, नगर निगम, शिमला ।
7. हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम	1. प्रबन्ध निदेशक, हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम ।

1	2
	2. महाप्रबन्धक/सहायक महाप्रबन्धक । 3. मण्डलीय प्रबन्धक । 4. क्षेत्रीय प्रबन्धक ।
8. नगरपालिकाएं एवं अधिसूचित क्षेत्र समितियां ।	1. प्रशासक । 2 सचिव ।
9. हिमाचल प्रदेश खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ।	1. निदेशक । 2. संयुक्त निदेशक/उप-निदेशक । 3. जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियन्त्रक ।
10. लोक निर्माण विभाग	1. प्रमुख अभियन्ता । 2. सभी मुख्य अभियन्ता । 3. सभी अधीक्षण अभियन्ता । 4. सभी अधिशासी अभियन्ता ।
11. मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग	1. नियन्त्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री । 2. उप-नियन्त्रक । 3. सहायक नियन्त्रक ।
12. हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम ।	1 प्रबन्ध निदेशक । 2. महा प्रबन्धक । 3. मण्डलीय प्रबन्धक । 4. क्षेत्रीय प्रबन्धक ।
13. हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक	1. प्रबन्ध निदेशक । 2. महा प्रबन्धक । 3. अतिरिक्त महा प्रबन्धक । 4. सभी बैंक शाखा प्रबन्धक ।
14. हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी दुग्ध उत्पादक संगठन ।	1. प्रबन्ध निदेशक । 2. वरिष्ठ प्रबन्धक, परियोजना उत्पादन एवं विपणन । 3. वरिष्ठ प्रबन्धक, प्रोक्योरमैंट और इनपुट । 4. सचिव/प्रबन्धक, शिमला तथा मण्डी । 5. परियोजना समन्वयक, मण्डी । 6. सहायक प्रबन्धक, नाहन तथा बिलासपुर ।

आदेश द्वारा,
मधु सूदन मुखर्जी,
मुख्य सचिव ।

सामान्य प्रशासन विभाग
(ख-अनुभाग)

अधिसूचना

शिमला-171002, 20 सितम्बर, 1990

संख्या जी0 ए0 बी0-जी0(1)-2/88.—यत: राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश को यह प्रतीत होता है कि केन्द्रीय सरकार के दूरसंचार विभाग द्वारा अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामत: गांव जवाहर पार्क, सोलन,

तहसील व जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश में सोलन ऑटो एक्सचेंज के निकट अतिरिक्त आवास के निर्माण एवं अतिरिक्त दूरभाष उपकरण एवं कार्यशाला इत्यादि की स्थापना हेतु भूमि ली जानी अपेक्षित है, अतएव एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्नलिखित विवरणी में विनिर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन करना अपेक्षित है ।

2. यह घोषणा भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 के उपबन्धों के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों की सूचना हेतु की जाती है और उक्त अधिनियम की धारा 7 के उपबन्धों के अधीन भू-अर्जन समाहर्ता (एस0 डी0 एम0), सोलन, हिमाचल प्रदेश को उक्त भूमि को अर्जन करन के आदेश लेने का एतद्द्वारा निदेश दिया जाता है ।

3. भूमि का रेखांक भू-अर्जन समाहर्ता (एस0 डी0 एम0), सोलन, हिमाचल प्रदेश के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है ।

विवरणी

जिला : सोलन

तहसील : सोलन

गांव 1	खसरा नं0 2	क्षेत्र फल वर्ग मीटर 3
जवाहर पार्क सोलन	116	80 वर्ग मीटर
	117	34 वर्ग मीटर
	788/108	168 वर्ग मीटर
किता ..	3	282 वर्ग मीटर

आदेश द्वारा,
हर्ष गुप्ता,
सचिव ।

[*Authoritative English text of this Department notification No. GAB.-G*(1)-2/88, *dated* 20-9-1990 *as required under Article* 348 (3) *of the Constitution of India*].

GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT
('B' SECTION)

NOTIFICATION

Shimla-171002, *the* 20*th September*, 1990

No. GAB-G(1)-2/88.—Whereas it appears to the Governor, Himachal Pradesh that land as specified below is required to be taken by the Department of Telecommunication of the Central Government at the public expenses for a public purpose, namely for construction of additional accommodation to house workshop of Telephone Exchange etc. at Solan in Village Jawahar Park, Solan (H. P.) near Auto Exchange, it is hereby declared that the land in the locality described below is likely to be required for the above purpose.

2. This declaration is made under the provisions of section 6 of the Land Acquisition Act, 1894 to all whom it may concern and under the provisions of Section 7 of the said Act, the Land Acquisition Collector (S.D.M.), Solan, District Solan, H. P. is hereby directed to take order for the acquisition of the said land.

3. Plan of the land may be inspected in the Office of Land Acquisition Collector (S.D.M.), Solan.

SPECIFICATION

District : Solan *Tehsil* : Solan

Village 1	Khasra No. 2	Area in sq. meters 3
JAWAHAR PARK SOLAN	116	80 sq. meters
	117	34 sq. meters
	788/108	168 sq. meters
	Kitta .. 3	282 sq. meters

By order,
HARSH GUPTA,
Secretary.

वन खेती एवं संरक्षण विभाग

अधिसूचना

शिमला-171002, 21 सितम्बर, 1990

संख्या एफ0 टी0 एस0 (एस)3-2/84.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश फारेस्ट (सेल आफ टिम्बर) ऐक्ट, 1969 (1969 का 18) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सरकार की अधिसूचना संख्या 3-26/69-एस0 एफ0 तारीख 30-6-73 द्वारा यथा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश फारेस्ट (सेल आफ टिम्बर) नियम, 1969 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित प्रारूप-नियम बनाने हैं और उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित उन सभी शक्तियों जिनका उसमें प्रभावित होना सम्भाव्य है की जानकारी के लिए हिमाचल प्रदेश राजपत्र में प्रकाशित किए जा रहे हैं और एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप नियमों पर शासकीय राजपत्र के उनके प्रकाशन से 30 दिनों की अवधि के भीतर विचार किया जाएगा।

उससे प्रभावित कोई व्यक्ति यदि उन प्रारूप नियमों के प्रति आक्षेप करना या सुझाव देना हो तो वह आक्षेप या सुझाव उक्त अवधि के भीतर सचिव (वन) को भेज सकेगा। आक्षेप या सुझाव, यदि कोई हो, पर नियमों को अन्तिम रूप देने से पूर्व विचार किया जाएगा, अर्थात्:—

Short title.—These rules may be called the Himachal Pradesh Forest (Sale of Timber) (Amendment) Rules, 1990.

Amendment to Rule 14.—In the provisio to rule 4 of the Himachal Pradesh Forest (Sale of Timber) Rules, 1969, for figure '100' the figure '500' shall be substituted.

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/r
वित्तायुक्त एवं सचिव ।

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

FOREST FARMING AND CONSERVATION DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 21st September, 1990

No. Fts. (A) 3-2/84.—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Himachal Pradesh Forest (Sale of Timber) Act, 1969 (18 of 1969), the Governor, Himachal Pradesh proposes to make the following draft rules further to amend the Himachal Pradesh (Sale of Timber) Rules, 1969, as published *vide* Government Notification No. 3-26/69-SF dated the 3rd July, 1970 in the Himachal Pradesh Rajpatra dated 30-6-1973 and the same are hereby published in the Rajpatra, Himachal Pradesh, for the information of all persons likely to be affected thereby as required under sub-section (3) of section 3 of the Act *ibid* and a notice is hereby given that the said draft rules shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of 30 days from the date of their publication in the Official Gazette.

If any person affected thereby desires to make any objections or suggestions regarding these draft rules, he can send the same to the Secretary (Forests) to the Government of Himachal Pradesh before the expiry of the above period. The objections or suggestions, if any, will be taken into consideration before finalising the rules, namely:—

Short title.—These rules may be called the Himachal Pradesh Forest (Sale of Timber) (Amendment) Rules, 1990.

Amendment to Rule 14.—In the proviso to rule 4 of the Himachal Pradesh Forest (Sale of Timber) Rules, 1969 for figure '100' the figure '500' shall be substituted.

By order,
Sd/-
Financial Commissioner-cum-Secretary.

श्रम विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 21 सितम्बर, 1990

संख्या 23-11/88-श्रम.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की 91-ए के साथ पठित धारा 87 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मौसमी प्रसंस्करणों में रत, निम्नलिखित कारखानों/स्थापनाओं को, हिमाचल प्रदेश में ऐसे क्षेत्रों में जिनमें कथित अधिनियम लागू है, अधिनियम के उपबन्धों के प्रवर्तन से तारीख 15-3-90 से एक वर्ष की अवधि के लिए छूट प्रदान करते हैं, अर्थात् :—

1. अविनिर्मित तम्बाकू की पत्तियों को पुनः सुखाना ।

2. मशीन द्वारा चावल निकालना ।

3. नमक विनिर्माण ।

4. कपास, दबाई और ओटाई सहित या रहित ऊन की दबाई ।

5. तेल मिलें (परन्तु तेल निकालने का प्रसंस्करण किसी ऐसी अन्य विनिर्माण प्रसंस्करण के समनुषंगी हो जोकि मौसमी हो और जिसमें तेल निकालने में रत कर्मचारियों की संख्या पच्चास से कम हो) ।

6. बर्फ विनिर्माण ।

यह इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 15-3-1989 के क्रम में है ।

आदेश द्वारा,
अत्तर सिंह,
वित्तायुक्त एवं सचिव ।

[*Authoritative English text of this Government Notification No.* 23-11/88-*Shram, dated* 21-9-1990 *as required under clause* (3) *of Article* 348 *of the Constitution of India*].

LABOUR DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 21*st September,* 1990

No. 23-11/88-Shram.—In exercise of the powers conferred by Section 87 read with Section 91-A of the Employees State Insurance Act, 1948 (Act No. XXXIV of 1948), the Governor of Himachal Pradesh is pleased to exempt the following factories/establishments engaged in the seasonal processes for a period of one year with effect from 15-3-1990 from the operation of the provisions of the aforesaid Act, in the areas where the said Act is in operation in Himachal Pradesh:—

1. Redrying unmanufactured leaf Tobacco.
2. Rice Milling.
3. Salt Manufacturing.
4. Wool Pressing either with or without Cotton Pressing and ginning.
5. Oil Mills (Provided that the process of oil milling is subsidiary to any other manufacturing process which is seasonal and so long as the number of employees engaged in oil milling is less than fifty).
6. Ice manufacturing.

This is in continuation of this Department Notification of even number, dated 15-3-1989.

By order,
ATTAR SINGH,
Financial Commissioner-cum-*Secretary.*

पंचायती राज विभाग

कार्यालय आदेश

शिमला-2, 21 सितम्बर, 1990

संख्या पी0 सी0 एच0-एच0 ए0 (5)4 1/90.—क्योंकि श्री तिलक राज, प्रधान, ग्राम पंचायत, भद्रकाली, विकास खण्ड गगरेट, जिला ऊना के विरुद्ध निम्न आरोप ह :—

(क) कि वह गगरेट के निवासी हैं जहां वह 1979 से पूर्व ग्राम पंचायत गगरेट के पंच एवं प्रधान रहे एवं 1979 में अधिसूचित क्षेत्र समिति की स्थापना के पश्चात् भी वह गगरेट में रह रहे हैं एवं चले आ रहें हैं कि गगरेट के निवासी होने के फलस्वरूप वह 1982 में अधिसूचित क्षेत्र समिति गगरेट के गैर सरकारी सदस्य मनोनीत हुए एवं इस पद पर तीन वर्ष के लिए रहे, कि उनका राशन कार्ड भी गगरेट में बना हुआ है, वह 1979-80 में हाऊस टैक्स भी गगरेट पंचायत/एन0 ए0 सी0 में दे रहे हैं, कि उनका मकान गगरेट में 1978 से पहले का बना हुआ है, जिसमें वह परिवार सहित रह रहे हैं, कि उनके नाम टेलीफोन भी उनके मकान गगरेट में लगा हुआ है और उनका एवं उनके परिवार का नाम अधिसूचित क्षेत्र समिति गगरेट की मतदाता सूची में दर्ज है, कि उपरोक्त तथ्यों के दृष्टिगत श्री तिलक राज उपरोक्त गगरेट के निवासी हैं, न कि ग्राम पंचायत भद्रकाली के एवं प्रधान बनने एवं बने रहने के पात्र नहीं;

(ख) कि श्री तिलक राज उपरोक्त ने जनता से 1,100/- रुपये की राशी की कच्ची रसीदें काट कर बाबा लाल सराय के निर्माणार्थ लोगों से एकत्रित की जिसमें 800/- रुपये का हिसाब ग्राम पंचायत, भद्रकाली को न दिया एवं इस प्रकार इस राशी का गबन किया एवं अनियमितता की;

(ग) कि श्री तिलक राज उपरोक्त ने जब वह वर्ष 1970 में ग्राम पंचायत गगरेट के पंच थे पंचायत से एक प्रस्ताव पारित करवाया जिसके आधार पर उनको पानी की भूमि मिलनी थी अतः इस कृत्य से अपने पद का दुरुपयोग किया;

(घ) कि श्री तिलक राज उपरोक्त ने अपने प्रभाव से 1985 में अपने सुपुत्र श्री अरविन्द को बाढ़ से क्षतिग्रस्त मकानों की मुरम्मत/निर्माण के लिए ऋण दिलवाया जबकि श्री अरविन्द का अपना कोई मकान न था वरन् श्री तिलक राज के साथ रहता था एवं वह इस ऋण का पात्र न था। इन कृत्यों से श्री तिलक राज ने अपने पद का दुरुपयोग किया है;

क्योंकि उपरोक्त कृत्यों के दृष्टिगत यह स्पष्ट है कि श्री तिलक राज उपरोक्त ने अपने पद का दुरुपयोग किया है एवं वह हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 4 (5) के अन्तर्गत प्रधान के पद पर बने रहने के पात्र नहीं;

क्योंकि उपरोक्त ढंग से अपने पद का दुरुपयोग करने के लिए समसंख्या आदेश दिनांक 13-10-79 द्वारा श्री तिलक राज उपरोक्त को धारा 54(2) नियम 77 के अन्तर्गत पद से निष्कासनार्थ कारण बताओ नोटिस दिया गया था ;

क्योंकि श्री तिलक राज उपरोक्त से कारण बताओ नोटिस का उत्तर प्राप्त हुआ था जिस पर जिलाधीश ऊना से टिप्पणी मांगी गई थी जिन्होंने उस पर प्रारम्भिक रिपोर्ट उप-मण्डलाधिकारी (ना0), ऊना से मांगी थी ;

क्योंकि उप-मण्डलाधिकारी (ना0), ऊना की रिपोर्ट एवं उस पर जिलाधीश ऊना की टिप्पणी सरकार को प्राप्त हो चुकी है, जिन की एवं प्रारम्भिक जांच में श्री तिलक राज द्वारा दिए गये ब्यानों के भलि-भांति आंकने से उसके विरुद्ध कथित उपर्युक्त आरोप स्पष्टतयः (प्राइमा फेसी) ठीक सिद्ध होते हैं;

और क्योंकि उपरोक्त आरोपों और उन सम्बन्धी प्राप्त तथ्यों की वास्तविकता जानने के लिए नियमित जांच करवाई जानी जनहित में आवश्यक है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 54 के अन्तर्गत अवर सचिव (पंचायत) एवं उप-निदेशक, पंचायती राज, हिमाचल प्रदेश, शिमला को श्री तिलक राज उपरोक्त के विरुद्ध कथित आरोपों की सत्यता जानने हेतु जांच अधिकारी एवं इसी मामले में जिला पंचायत अधिकारी, ऊना को प्रस्तुतकर्त्ता अधिकारी नियुक्त करते हैं एवं यह आदेश देते हैं कि वह अपनी जांच रिपोर्ट शीघ्र पूर्ण कर अधोहस्ताक्षरी को प्रस्तुत करें।

हस्ताक्षरित/-
विशेष सचिव।

शिमला-2, 22 सितम्बर, 1990

सख्या पी0सी0एच0-एच0ए0(5)42/77-III.—क्योंकि ग्राम पंचायत मायली ने अपने प्रस्ताव संख्या 3 दिनांक 20-6-1988 द्वारा यह सूचित किया है कि श्री प्रेम पाल सिंह पंच 11/87 से, श्री सुख राम पंच दिनांक 20-6-1987, श्री कली राम पंच 20-6-1987 तथा श्री उमेद राम पंच दिनांक 19-3-1987 से ग्राम पंचायत मायली की बठकों से अनुपस्थित रह रहे है;

और क्योंकि उपरोक्त सर्व श्री प्रेमपाल सिंह, सुख राम व कली राम पंचों को इस कार्यालय के समसंख्यक आदेश दिनांक 14 मार्च, 1989 तथा श्री उमेद राम पंच को आदेश दिनांक 12 जून, 1989 द्वारा निलम्बनार्थ कारण बताओ नोटिस भी दिए गए थे और सर्व श्री कली राम, प्रेमपाल सिंह व सुख राम का इस सन्दर्भ में कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ जिससे यह स्पष्ट है कि उक्त पंच अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना चाहते। श्री उमेद राम द्वारा दिया गया उत्तर आंकने के पश्चात् असन्तोषजनक पाया गया;

और क्योंकि उपरोक्त पंचों का यह कृत्य पंचायत की कार्यकुशलता में बाधक सिद्ध हो रहा है।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 54 के अन्तर्गत जिला पंचायत अधिकारी, शिमला को जांच अधिकारी नियुक्त करने का सहर्ष आदेश देते हैं जो अपनी जांच रिपोर्ट उपायुक्त, शिमला के माध्यम से शीघ्र इस कार्यालय को प्रेषित करने की कृपा करेंगे।

हस्ताक्षरित/-
अवर सचिव।

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित ।